दिनांक 28.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 40/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–ए0टी0एम0 बूथ मशीन से छेडछाड कर धोखाधडी करते हुए लोगों के खातों से पैसा निकालने वाले गिरोह का सरगना सहित 03 गिरफ्तार।

दिनांक 27–08–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को ए0टी0एम0 बूथ के भीतर व बाहर व्यक्तियों को गुमराह कर ए0टी0एम0 स्वैप करके उनके खाते से रूपये निकालने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के 03 सक्रिय सदस्यों को 39 अदद ए0टी0एम0 कार्ड के साथ जनपद लखनऊ के थाना क्षेत्र मडियांव से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– परवेज खान पुत्र उस्मान निवासी शकूहाबाद थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

2– साहिल पुत्र साईद अहमद निवासी नागापुर तिलोरी, थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ

3– मुक्तदीर पुत्र समीम निवासी चंघईपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रयागराज।

बरामदगीः–

1– 39 अदद ए0टी0एम0 कार्ड।

2– 03 अदद मोबाइल फोन।

3– 6510 रुपये नकद।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

आईआईएम रोड लोखडिया मोड थानाक्षेत्र मडियांव, दिनांक 27–08–2025 समय 21.15 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को ए0टी0एम0 बूथ मशीन में छेडछाड कर व कार्ड बदलकर लोगों को धोखा देकर उनके खाते से पैसे निकालने वाले गिरोहों के बारे में सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के क्रम में श्री अमित कुमार नागर, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 27–08–2025 को ज्ञात हुआ की ए0टी0एम0 मशीन में छेडछाड कर व कार्ड बदल कर व्यक्तियों के खाते से पैसा निकालने वाले गिरोह

के कुछ सदस्य शहर के विभिन्न ए0टी0एम0 बूथों से पैसा निकालने के लिए आने वाले है। इस सूचना पर निरीक्षक दिलीप तिवारी, उपनिरीक्षक विनोद सिंह, उपनिरीक्षक अशोक गुप्ता, मु०आ० राजेश मौर्या, मु०आ० रूद्रनारायन, मु०आ० कौशैलेन्द्र सिंह, मु०आ० विजय वर्मा, मु0 आरक्षी रवि वर्मा, की टीम द्वारा थाना क्षेत्र मडियांव जनपद लखनऊ से तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम लोगों का एक संगठित गिरोह है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुम्बई, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर आदि राज्यो में एटीएम बूथ के अन्दर यह लोग वायरिंग पत्ती को एटीएम के कैश ट्रे के बराबर काट लेते है तथा उसमें डबल साइड टेप में फेवीक्विक लगाकर चिपका देते है। उसके बाद यह लोग बूथ से दाहिने बायें हो जाते है। जब कोई व्यक्ति वहां पर पैसा निकालने के लिए आता है तो अपना एटीएम लगाता है तब पैसे निकलते तो है लेकिन पैसे कैश ट्रे में अन्दर ही फस जाते है। व्यक्ति को यह लगता है कि मेरे पैसे एटीएम से नहीं निकले है और वह वहां से चला जाता है। उसके बाद यह लोग बूथ में जाकर कैशट्रे में उॅगली डालकर पैसे निकल लेते है तथा इसके अलावा लोगों को गुमराह कर, उनके एटीएम कार्ड बदलकर भी लोगों के खातों से पैसे निकल लेते है तथा इसी प्रकार एटीएम मशीन में एटीएम लगाने वाले स्थान पर फेवीक्विक डालकर पैसा निकालने आये व्यक्ति के एटीएम को उसमें चिपकवा देते है तथा चुपके से उसके द्वारा पासवर्ड डालते समय पासवर्ड को नोट कर लेते है। जब व्यक्ति काफी परेशान होकर चला जाता है तो प्लास की मदद से एटीएम निकलकर पैसे निकाल लेते है

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मडियांव, जनपद–लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 434/2024 धारा– 303(2), 317(2), 318(4) B.N.S के अभियोग में दाखिल किया गया है जो पूर्व से पंजीकृत है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>अभियुक्त परवेज का ज्ञात अपराधिक इतिहासः</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	236/16	392/411 भादवि	को0देहात	सुल्तानपुर
2.	295/17	394 भादवि	मऊआइमा	प्रयागराज
3.	512/17	392/411 भादवि	सलोन	रायबरेली
4.	182/17	411, 419, 420इ भादवि	ऊँचाहर	रायबरेली
5.	639/17	4/25 आर्म्स एक्ट	लालगंज	प्रतापगढ़
6.	635/17	307/41/411/414/419/420/467/468/471 भादवि	लालगंज	प्रतापगढ़

7.	644/17	379/411 भादवि	को0नगर	प्रतापगढ़
8	1085/18	307 भादवि	को0नगर	प्रतापगढ़
9	1086/18	25 आर्म्स एक्ट	को0नगर	प्रतापगढ़
10	50/18	2/3 गैगेस्टर एक्ट	लालगंज	प्रतापगढ़
11	53/19	4/5 विस्फोटक पदार्थस अधि0	अन्तु	प्रतापगढ
12	261/22	395, 397 भादवि	कुण्डा	प्रतापगढ
13	79/22	323, 325, 504, 506 भादिव	लालगंज	प्रतापगढ़
14	360/22	386, 507 भादवि	रानीगंज	प्रतापगढ़
15	13/22	307 भादवि व 3/5 आर्म्स एक्ट	को0नगर	बाराबंकी
16	410/24	115(2), 351(2), 352 बीएनएस	लीलापुर	प्रतापगढ
17	408/24	2/3 गैंगेस्टर एक्ट	रानीगंज	प्रतापगढ

अभियुक्त मुक्तदीर <u>का ज्ञात अपराधिक इतिहासः–</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	91/15	392 भादवि	मानधाता	प्रतापगढ
2	99/15	392 भादवि	मानधाता	प्रतापगढ
3	186/16	392 भादवि	मानधाता	प्रतापगढ
4	76/16	379/41/411, 419, 420, 467, 468 भादवि	उतरांव	प्रतापगढ
5	312/19	392/411 भादवि	रानीगंज	प्रतापगढ़
6	136/20	2/3 गैंगेस्टर एक्ट	मऊआइमा	प्रयागराज
7	261/22	395, 397 भादवि	कुण्डा	प्रतापगढ
8	360/22	386, 507 भादिव	रानीगंज	प्रतापगढ़
9	309/22	392 भादवि	मानधाता	प्रतापगढ
10	1307/22	307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट	को0नगर	बाराबंकी
11	408/24	2/3 गैंगेस्टर एक्ट	रानीगंज	प्रतापगढ़
12	66/25	191(2),191(2),190, 115(2),109(1), 351(3),126(2), 288 बीएनएस	देल्हूपुर	प्रतापगढ़

अभियुक्त साहिल <u>का ज्ञात अपराधिक इतिहासः–</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	633/21	323,504,506 भादवि	लालगंज	प्रतापगढ
2	79/22	323, 325, 504, 506 भादवि	लालगंज	प्रतापगढ
3	157/24	420 भादवि	अलीगंज	लखनऊ
4	336/24	420 भादवि	मडियांव	लखनऊ
6	434/24	318(4) बीएनएस	मडियांव	लखनऊ

एस0टी0एफ0–IGMS, IRDAI, NPCI, RBI के अधिकारियों का प्रतिरूपण कर Insurance /Cyber Fraud करने वाले संगठित गिरोह के 02 सदस्य गाजियाबाद से गिरफ्तार।

दिनांकः 27–08–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को IGMS (Integrated Grievance Management System), IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India), NPCI (National Payments Corporation of India), RBI (Reserve Bank of India) के अधिकारियों का प्रतिरूपण कर Insurance Policy Holder को यूनिट वैल्यू से अधिक मैच्योरिटी एमाउन्ट दिलाने का प्रलोभन देकर Insurance/Cyber Fraud करने वाले संगठित गिरोह के 02 सदस्यों को गाजियाबाद से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– दीपक तिवारी पुत्र स्व0 गणेश तिवारी निवासी सी– 707 चार्मस कैषल सोसाइटी, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद।

2– बादल वर्मा पुत्र दिनेश कुमार वर्मा निवासी 4/7 गली न0 07 दुर्गा इंक्लेव ओल्ड हैबतपुर चिपयाना, थाना बिसरख, गौतमबुद्वनगर।

बरामदगी–

1– 07 अदद मोबाइल फोन।

2– 02 अदद लैपटाप मय चार्जर।

3– 02 अदद आधार कार्ड।

4– 02 अदद ड्राइविंग लाइसेंस।

5– 03 अदद एटीएम कार्ड।

6– 01 अदद निर्वाचन कार्ड।

7– 02 अदद पैन कार्ड।

8– **05 अदद रजिस्टर (लोगों से ठगी करने के तरीके व डेटा से सम्बन्धित)**

7– रू0 2905/– नकद।

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः– दिनांकः 27–08–2025 स्थानः आफिस न0–440 चौथी मंजिल क्लाउड 9 वैशाली, थाना कौशाम्बी, गाजियाबाद समयः 17:10 बजे ।

साइबर क्राइम की रोकथाम व साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि डा० लाल सिंह गंगवार वैज्ञानिक भारतीय गंन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के साथ दिनांक 14.03.2025 से लगातार 24.03.2025 तक फोन व व्हाटसएप पर वार्ता करने के मध्य उनको कूटरचित/फर्जी जीबीआई बांड पेपर भेजकर उनके लाइफ इन्श्योरेंस में यूनिट वैल्यू से अधिक मैच्योरिटी एमाउन्ट दिलाने का प्रलोभन देकर रू0 3,66,890– फर्जी बैंक खातों में स्थानान्तरित करवा लिया गया था, जिसके सम्बन्ध में डा० लाल सिंह गंगवार द्वारा थाना साइबर क्राइम, लखनऊ में मु०अ०सं० 56/2025 धारा 318(4) बीएनएस, 319 (2) बीएनएस व 66 सी 66 डी आईटीएक्ट पंजीकृत कराया गया।

उपरोक्त प्रकरण पर तकनीकी विषेषज्ञता के आधार पर एवं मुखबिर के माध्यम से सूचना संकलित करते हुए दिनांक 27–08–2025 को एसटीएफ उ0प्र0 व थाना साइबर क्राइम, लखनऊ की टीम द्वारा आफिस न0 440 चौथी मंजिल क्लाउड 9 वैषाली, थाना कौषाम्बी, गाजियाबाद से उपरोक्त दोनो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त दीपक तिवारी उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि पूर्व में वह 2012 से 2015 तक दा विजन लाइफ इंश्योरेंस ब्रोकर सेक्टर 02 नोयडा में टैलीकालिंग का काम कर चुका है। 2016 से 2020 तक विभिन्न आफिसों में रेंट पर कम्प्युटर लगाने का काम करता था। कोविड के समय पर इस व्यापार में उसका घाटा हो गया। वर्ष 2022 में उसने राजनगर एक्सटेंषन में भैयाजी नाम से रेस्टोरेंट खोला, पर इस व्यापार में भी उसका घाटा हुआ और काफी लोन हो गया। दिसम्बर 2024 में उसकी मुलाकात प्रेम चौधरी से हुई। प्रेम चौधरी ने बताया कि एक आफिस ले लो हम लोग इंष्योंरेंस में साइबर फ्राड का काम करेंगें। इसके बाद दीपक तिवारी उपरोक्त द्वारा जनवरी 2025 में क्लाउड 9 वैषाली गाजियाबाद में एक आफिस लिया गया। यहां पर करन शर्मा, बादल वर्मा, प्रेम चौधरी व दीपक तिवारी इंश्योरेंस में साइबर फ्राड का काम करने लगे। यह लोग गूगल सर्च से सरकारी संस्थानों में पोस्ट लोगों का डेटा प्राप्त कर खुद को इंष्योरेंस कम्पनी का अधिकारी बताकर उनका विष्वास हासिल कर यूनिट वैल्यू से अधिक मैच्योरिटी एमाउन्ट दिलाने का प्रलोभन देकर Insurance /Cyber Fraud करने लगे। इस गिरोह द्वारा मोबाईल फोन से

काल व व्हाटसएप कर इंष्योरेंस धारक को बताया जाता था कि आपको हर छः महीने पर जो बेनीफिट मिलना चाहिए उसका वैल्यु लेटर आ रहा है कि नही, तब कस्टमर द्वारा मना कर दिया जाता था तो इस गिरोह के सदस्य उनको बताते थे कि इस लाभ को लेने के लिए आपको एजेंट कोड हटवाना होगा, जिसकी फीस 20 हजार से 90 हजार तक उनके द्वारा बताये गये बैंक खातों मे जमा करना होगा। यह बैंक खाते 20 प्रतिषत के कमीषन पर करन शर्मा व प्रेम चौधरी द्वारा लिए जाते थे। जब कस्टमर द्वारा यह एमाउंट जमा कर दिया जाता था तो इन लोगों द्वारा अलग अलग IGMS, IRDAI, NPCI, RBI अधिकारियों के नाम के कूटरचित आईडी कार्ड व दस्तावेज भेजकर पालिसी सटेलमेंट चार्ज, एफीडेबिट चार्ज, सीआरएस लेटर चार्ज, सर्विस चार्ज आदि तरीके से साइबर फ्राड करते थे और ठगी से आये रूपये को आपस में बांट लेते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त बादल वर्मा उपरोक्त द्वारा दीपक तिवारी की बातों का समर्थन करते हुए बताया गया कि करन शर्मा व प्रेम चौधरी के साथ उसकी कई वर्षो से दोस्ती है। उसने रिलायंस कम्युनीकेषन में 2019 से 2020 तक जाब किया। 2021 से अगस्त 2024 तक एक माइक्रो फाइनेंस कम्पनी में वैषाली गाजियाबाद में टैली कालर की जाब किया। इसके बाद फरवरी 2025 से दीपक तिवारी, प्रेम चौधरी, व करन शर्मा के साथ मिलकर Insurance /Cyber Fraud का काम करने लगा। पिछले 07 महीने में इस गिरोह द्वारा लगभग 15–20 बैंक खाते जो कमीषन पर लिये गये थे, जिनमें लगभग 50–60 लाख का साइबर फ्राड किया गया है।

अभियुक्तों द्वारा बताये गये बैक खाते, वालेट की जानकारी/परीक्षण व गिरोह के अन्य सदस्यो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। अभियुक्तों से बरामद इलेक्ट्रानिक उपकरणों का फारेंसिक परीक्षण कराया जायेगा।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना साईबर क्राईम, लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 56/2025 धारा धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं 66सी, 66डी आईटी एक्ट में दाखिल किया गया है। आवष्यक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एएनटीएफ थाना गाजीपुर द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 01 सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 278 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन जिसका अन्तर्राष्ट्रीय कीमत मूल्य (लगभग 56 लाख) 02 अदद मोबाइल फोन तथा 01 अदद मोटरसाइकिल, जमातलाशी के 1010 रू0 बरामद

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0, लखनऊ के मार्ग दर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ लखनऊ के निर्देशन में एएनटीएफ थाना गाजीपुर द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला 01 सक्रिय तस्कर सुभाषचन्द्र पुत्र रामलखन निवासी ग्राम नरउर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी उत्तर प्रदेश,भारत उम्र लगभग 50 वर्ष , को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से 278 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन जिसका अन्तर्राष्ट्रीय कीमत मूल्य (लगभग 56 लाख) 02 अदद मोबाइल फोन तथा 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया । जिसके सम्बन्ध मे घटनास्थल के आधार पर थाना मंडुवाडीह पर मु0अ0सं0 246/25 धारा 8/21/60 एनडीपीएस एक्ट मे मुकदमा पंजीकृत कराते हुए विधिक कार्यवाही किया गया ।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बताया कि बिहार से हेरोइन लाकर जनपद वाराणसी व आस–पास के जनपदों में छोटी–छोटी पुड़िया बनाकर बेच देता हूँ जिससे मुझे भारी मात्रा मे मुनाफा होता है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1– सुभाषचन्द्र पुत्र रामलखन निवासी ग्राम नरउर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी उम्र लगभग 50 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय–

दिनांक –27.8.2025, समय 16.30 बजे स्थान– काशी विद्यापीठ ब्लाक के पीछे कालोनी में जाने वाले रास्ते पर ।

बरामदगी का विवरण

1. 278 ग्राम हेरोइन जिसका अन्तर्राष्ट्रीय कीमत मूल्य (लगभग 56 लाख)
2. 02 अदद मोबाइल फोन
3. 01 अदद मोटरसाइकिल
4. 1010 रू नगद

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण– ए0एन0टी0एफ0 थाना गाजीपुर ।

1–उ0नि0 शमी अशरफ शेख

2–हे0का0 मुस्लिम अंसारी

3–का0 जयन्त सिंह

4–का0 अमित कुमार चौरसिया

5–का0 अजीत कुमार

6–का0 देवानन्द

7– का0 इन्द्रपाल सिंह

सहयोगार्थ थाना–मंडुवाडीह जनपद–वाराणसी की टीम–

1–उ0नि0 श्री राहुल सिंह(चौकी प्रभारी लहरतारा)

2–का0 आलोक कुमार सरोज

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना भौराकलां

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 1200 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 28.08.2025 को थाना भौराकलां व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कुरावा–जैतपुर तिराहे के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त बृजनन्दन उर्फ मंगल उर्फ मेजर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 1200 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, संभल, शामली व हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानो में चोरी, आबकारी एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना भौराकलां पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भौराकलां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बृजनन्दन उर्फ मंगल उर्फ मेजर निवासी अहमदगढ थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी

1–लूट के 1200 रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद खीरी/थाना नीमगांव

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये कीमत के चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण आदि**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 28.08.2025 को थाना नीमगांव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1–अजय 2–मुस्ताक को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये कीमत के चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण आदि, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना नीमगांव क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नीमगांव पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद खीरी, सीतापुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 16–16 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना नीमगांव पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अजय निवासी बरछत्ता थाना तम्बौर जनपद सीतापुर।

2–मुस्ताक निवासी ससौरा कलां थाना कमलापुर जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–लगभग 10 लाख रूपये कीमत के चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण आदि।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल।

जनपद फतेहपुर/थाना खागा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 07 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **चोरी के 02 लाख 71 हजार 25 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 28.08.2025 को थाना खागा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नया बस स्टाप खागा से अभियुक्त भीम सिंह उर्फ अजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 07 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, चोरी के 02 लाख 71 हजार 25 रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.08.2025 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है,जिसके विरूद्ध जनपद फतेहपुर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना खागा पर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–भीम सिंह उर्फ अजय निवासी उधन्नापुर थाना सदर कोतवाली जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1–लगभग 07 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

2–चोरी के 02 लाख 71 हजार 25 रूपये नगद।

जनपद चंदौली/थाना मुगलसराय

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 02 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 120 ग्राम अवैध हिरोइन**
- **नगद रूपये आदि बरामद**

दिनांक 28.08.2025 को थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मानसरोवर पोखरे के पास से अभियुक्त सीताराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 120 ग्राम अवैध हिरोइन, नगद रूपये आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मुगलसराय पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सीताराम निवासी गुजरोकि मोवरन थाना जावदा जनपद चित्तौडगढ़ राजस्थान।

बरामदगी

1—लगभग 02 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 120 ग्राम अवैध हिरोइन।

2—नगद रूपये आदि।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना काँट

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **527 ग्राम अवैध अफीम बरामद**

दिनांक 28.08.2025 को थाना काँट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ददरौल मोड़ ग्राम किशुराई के पास से अभियुक्त फूलसिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 527 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना काँट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—फूलसिंह निवासी ग्राम कटका थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1—527 ग्राम अवैध अफीम।

- **जनपद एटा/थाना अलीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 80—80 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना अलीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376घ के अन्तर्गत अभियुक्त 1—विनय 2—अनोज को आजीवन कारावास व 80—80 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना नरौरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना नरौरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के

अन्तर्गत अभियुक्त ललित उर्फ नेपाली को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **<u>जनपद बहराइच/थाना रामगांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना रामगांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/498ए के व 3/4 डीपी एक्ट अन्तर्गत अभियुक्त लवलेश को सश्रम आजीवन कारावास व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **<u>जनपद बहराइच/थाना खैरीघाट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 13–13 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना खैरीघाट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/148/304 सपठित धारा 149 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–जगतराम 2–मौजीलाल 3–देशराज 4–कोने 5–तेजराम को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास व 13–13 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **<u>जनपद चित्रकूट/थाना को0कर्वी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना को0कर्वी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–शिवदत्त 2–संजय को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **<u>जनपद चित्रकूट/थाना को0कर्वी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना को0कर्वी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 366/34/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त नरेन्द्र को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————